

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s DLF Limited,
Gateway Tower (1st Floor), DLF City, Phase-III,
Gurugram-122002, Haryana

क्रमांक 97 /एम0बी0

दिनांक 25.08/2023

विषय:-

Clarification Regarding Applicability of Aravalli NOC for Land/Khasras (Total area 15.67 acres) falling within the project site of "Privana" in Sector 76/77, village Shikohpur and Kherki Daula Gurugram, Haryana.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, मानेसर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

तहसीलदार, मानेसर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1058/रीडर/ओ.के. दिनांक 20.07.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौजा शिकोहपुर, तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम के खसरा नम्बरान 1286 मिन - 1284 मिन / 1-1095 / 2 - 1106 - 1189 - 1189/2 - 1301 मिन 1305 मिन - 1205/2 - 1206/1/1 मिन 1102/2 - 1105/2 - 1107 जिसकी बिन्दूवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नं० दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. उपरोक्त खसरा नं० में 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन राड़ा, - बोहड़ व बीहड़ या रुद्र नहीं है।
3. 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व अराजी मुतनाजा की किस्म चाही थी।
4. उपरोक्त अराजी मुतनाजा मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह/पंचायत देह/नगरपालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. राजस्व रिकार्ड अनुसार अराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का जमाबन्दी के खाना कैफियत में दर्ज नहीं है।
6. अराजी मुतनाजा SEZ(Special Economical Zone) में नहीं आती है।
7. अराजी मुतनाजा पर धारा 4, 6 व अवार्ड नहीं है।

अराजी मुतनाजा में वर्णित खसरा नं० 1286 मिन (0-7-3), - 1284 मिन(0-5-15) में ई०न० 5478 से M/s Ananti Builders & Constructions प्रा०लि० व खसरा नं० 1095/2(0-2-0) - 1106(2-1-0) में ई०न० 5290 से M/s DLF लि० व खसरा नं० 1189/1(0-7-5.3), 1189/2(0-7-0) में ई०न० M/s मिल्डा विल्डवैल प्रा०लि० व खसरा नं० 1301 मिन (0-3-6) - 1305 मिन (0-3-19) में ई०न० 4318-19 से M/s मिल्डा विल्डवैल प्रा०लि० व खसरा नं० 1205/2(0-14-8) में ई०न० 4138 से M/s काविल बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा०लि० व खसरा नं० 1206/1/1 मिन में ई०न० 4242 M/s रैकस इस्टेट डवलपर्स प्रा० लि० व खसरा नं० (1-7-11), 1102/2-1105/2-1107 में ई०न० 4535 से M/s गुडगांव वन रियल्टी प्रा० (0-3-0), (0-4-0), (1-10-0) मालिक है। व रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार मौजा खेडकी दौला तहसील मानेसर जिला गुरुग्राम की अराजी भूमि खेवट नं० 413/641 मु०कीला 48//18/2/2(2-16), 19/2(4-0), 20/1(1-8), 22(7-11), 23/1(3-19), 60//3/1/1(1-3), 48//20/2(6-12), 21//7(7-11) कीता 9 रकबा 42 कनाल 11 मरला बरुवे ई०न० 4121 त०म० मैसर्ज डी०एल०एफ० लि० मालिक है व खेवट नं०

522-563 मु0कीला नं0 58//12/2(6-0), 58//19/1/1(3-0), 58//19/2/1(3-0) व खसरा नं0 76/5/2(2-0) कीता 4 रकबा 14 कनाल 0 मरला मै0 करीदा रियल इस्टेट प्रा0 लि0 मालिक है। व खेवट नं0 616-626-669 मु0 कीला नं0 49//23/1(1-18) 50//25/2/1(0-7), 59//1/1/1(2-2), 59//2/2(0-18), 59//9/1(1-0) 59//3/1(4-0), 59//3/2(4-0) व खसरा नं0 76/3(8-1), 77/3/2(1-15) कीता 9 रकबा 24 कनाल 1 मरला बालाजी तिरुपति इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 मालिक है व खेवट नं0 672 मु0 कीला नं0 59//1/2(5-14) का महेन्द्र पुत्र दलसिंह 1/3 भाग व ईश्वर सिंह बस्तीराम पुत्रान मंगल हर दो समभाग 2/3 भाग बरूवे ई0नं0 4104 व जमाबन्दी साल 2019-20 की रूह से मालकान व काबिज है जिसकी मांगी गई सूचना बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

1. उपरोक्त अराजी भूमि दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार व राजस्व रिकार्ड अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. उपरोक्त अराजी भूमि 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत चकबन्दी तक कभी भी अराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन राड़ा, गैर मुमकिन बीहड़, बंजर बीहड़ या रूद्र नहीं है।
3. उपरोक्त अराजी भूमि दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व मु0 कीला नं0 48//20/2 मगदा -21 मगदा 49//25 मगदा 59/3/1 मगदा व 76/3 मगदा, 76/5/2 भूड, 77/3/2 मगदा व मु0कीला नं0 48//18/2/2 चाही, 19/2 चाही, 20/1 चाही, 22 चाही, 23/1 चाही 60//3/1/1 चाही, 58//12/2 चाही, 19/1/1 चाही, 19/2/1 चाही, 49//23/1 चाही, 50//25/2/1 चाही, 59//1/1/1 चाही, 59//1/1/2 चाही, 59//2/2 चाही, 59//9/1 चाही, 59//3/2 चाही उपरोक्त नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात निम्न किस्म रही तथा जमाबन्दी साल 2019-20 हाल में मु0कीला नं0 58//12/2 गै0 मु0, 58//19/2/1 गै0मु0, 48//21(7-9) ब0ज0, (0-2) गै0मु0 76/5/2(2-0) चाही बाकी अराजी की किस्म बंजर जदीद है।
4. उपरोक्त अराजी मुतनाजा मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह/पंचायत देह/नगरपालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. उपरोक्त अराजी मुतनाजा का राजस्व रिकार्ड के अनुसार किसी माननीय न्यायालय में कोई केस नहीं चल रहा है।
6. अराजी मुतनाजा SEZ(Special Economical Zone) में नहीं आती है।
7. उपरोक्त अराजी पर धारा 4-6 व अवार्ड आदि जमाबन्दी के खाना कैफियत में दर्ज नहीं है।
8. उपरोक्त अराजी की मलकियत विवरण उपरोक्त दर्ज है।

नोट:- रपट नं0 123 दिनांक 01.11.2022 के अनुसार कीला नं0 49//23/1, 50//25/2/1, 59//1/1/1, 59//2/2, 59//9/1, 59//3/1, 59//3 व खसरा नं0 76/3, 77/3/2 का मैसर्ज डी0एल0एफ0 यूटिलिटीज लि0 के साथ कोलोब्रेशन एग्रीमेन्ट हो चुका है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 825-G दिनांक 13.07.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 30.06.2023 (M/s DLF Limited) को गांव शिकोहपुर, जिला गुरुग्राम के 4.886 एकड़ व गांव खेड़की दौला, जिला गुरुग्राम को 10.788 एकड़ एरिया की फारेस्ट क्लेसिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant Vandana Arora, M/s DLF Limited., having Rect. No./Killa No./Khasra Details: 1286 Min West (0-7-13), 1284/1 Min West (0-5-15), 1095/2 (0-2-0), 1106(2-1-0), 1189/1 Min (0-7-5.3), 1189/2(0-7-0), 1301 Min (0-3-6), 1305 Min (0-3-19), 1205/2 (0-14-8), 1206/1/1 Min (1-7-11), 1102/2(0-3-0), 1105/2(0-4-0), 1107(1-10-0) Land Measuring 4.886 (Acre) Land located at Village Sikhohpur, Gurugram And Rect. No./Killa No. 48//18/2/2(2-16-0), 19/2

(4-0-0), 21(7-11-0), 22(7-11-0), 23(3-19-0), 20/1(1-8-0), 20/2(6-12-0), 25(7-11-0), 60//3/1/1(1-3-0), 58//1/2/2(6-0-0), 19/1/1(3-0-0), 19/2/1(3-0-0), 76/5/2(2-0-0), 49//23/1(1-18-0), 50//25/2/1(0-7-0), 59//1/1/1(2-2-0), 2/2(0-18-0), 3/1(4-0-0), 3/2(4-0-0), 9/1(1-0-0), 76/3(8-1-0), 77/3/2(1-15-0), 59//1/1/2(5-14-0) Land Measuring 10.788 Acre Village Kherki Daula, District Gurugram (Total Land Measuring 4.886 Acre + 10.788 Acre) made a proposal to use this land for Building Construction. It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- C) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/ regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. M/s DLF Ltd., whose land is located at Village/City Shikohpur and Kherki Daula, District Gurugram must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification is hereby issued Subject, To Above Mentioned Condition:

अतः तहसीलदार, मानेसर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Sector 76/77, Village Shikohpur and Kherki Daula, District Gurugram की उक्त भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एनओसी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एनओसी स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।

कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम